पत्रांक-10/व4-44/07मा0-
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

~~सेवा~~
प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092 ।

School
L.N.-5
Nalanda

पटना, दिनांक- [illegible] जून, 08 ।

विषय:- विद्या ज्योति स्कूल, भातू बिगहा, एकंगरसराय, नालन्दा को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध करायें गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु में गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा विद्या ज्योति स्कूल, भातू बिगहा एकंगरसराय, नालंदा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:-

1- विद्यालय का संचालन निबंधित ज्योति एडुकेशनल ट्रस्ट भातू बिगहा, नालन्दा द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है, परन्तु सभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्त्ता बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता एक सामान्य शब्द है। इससे वास्तविक व्यवसाय का पता नहीं चलता है। शर्त्त के अनुरूप विद्यालय के ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पेशा को स्पष्ट करना चाहिए। सदस्यों की सूची संलग्न है ।

2- विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी /न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रैंड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है ।

3- विद्यालय को 3 एकड़ भूमि 30 वर्षों के निबंधित लीज से उपलब्ध है। इसी भूमि पर विद्यालय का अपना भवन निर्मित है, जिसमें 16 कमरे निर्धारित

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है ।

4- विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है। सभी 10 शिक्षक प्रशिक्षित हैं, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा ।

7- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 3-4-2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(I) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा। तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000 रुपया प्रतिवर्ष होंगे ।

(II) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(III) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(IV) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन ... की व्यवस्था होगी ।

8- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लेंकि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9- साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10- विभागीय पत्रांक 46 दिनांक 18-1-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं किए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11- विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तों के आधार पर तथा विद्या ज्योति स्कूल, भातू विगहा एकंगरसराय नालन्दा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

अनु0- जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार।

ज्ञापांक- 721 पटना, दिनांक- 2/7/जून,08

प्रतिलिपि प्राचार्य, विद्या ज्योति स्कूल, भातू विगहा, एकंगरसराय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/7/08

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार।

117